

कार्यालय जनपद न्यायाधीश फतेहपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या 189/2026 दिनांक: मई 25, 2026

आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6174/2023 (भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडेय व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 19.02.2026 एवं आदेश दिनांक 05.05.2026 के अनुपालन में तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 6962 /Admin G-II दिनांक 21/05/2026 के निर्देशों के क्रम में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 (Solid Waste Management Rules, 2026) को इस न्यायालय परिसर और इसके अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालय परिसरों में तत्काल प्रभाव से कड़ाई से लागू किया जाता है।

इस संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:

1. न्यायालय परिसर के भीतर उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कचरे को अनिवार्य रूप से चार अलग-अलग श्रेणियों—गीला कचरा (Wet), सूखा कचरा (Dry), सेनेटरी कचरा (Sanitary) और विशेष देखभाल कचरा (Special Care Waste) के अनुसार अलग-अलग कूड़ेदानों में ही एकत्र किया जाएगा।
2. संपूर्ण न्यायालय परिसर में सिंगल-यूज प्लास्टिक (Single-use Plastic) और थर्माल कोल से बनी सामग्रियों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
3. समस्त न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखी जाए तथा किसी भी प्रकार का कूड़ा खुले में न फेंका जाए।
4. किसी भी कर्मचारी/व्यक्ति द्वारा प्लास्टिक, कागज अथवा अन्य अपशिष्ट को खुले में जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
5. समस्त न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता एवं कर्मचारी "स्वच्छ न्यायालय परिसर अभियान" में सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे।
6. परिसर की साफ-सफाई तथा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दैनिक निगरानी हेतु प्रभारी अधिकारी नजारत को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
7. उक्त आदेशों की अवहेलना अथवा शिथिलता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन मानते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

इस आदेश की एक प्रति समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के मध्य परिचालित हो तथा एक प्रति अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, फतेहपुर को (अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को सूचनार्थ एवं सहयोग हेतु) प्रेषित हो।

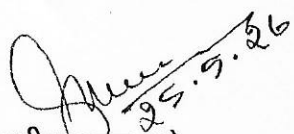
इस आदेश की एक प्रति माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति सहित जिलाधिकारी फतेहपुर को, आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालन हेतु प्रेषित हो।

इस आदेश की एक प्रति प्रभारी अधिकारी नजारत को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालन हेतु तथा एक प्रति अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद फतेहपुर को (अपशिष्ट प्रबंधन समन्वय हेतु) प्रेषित हो।

इस आदेश की एक प्रति सिस्टम आफिसर को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु एवं एक प्रति सूचना पट्ट पर चस्पा हो।

तदनुसार सर्वसम्बन्धित सूचित हों।

दिनांक:- मई 25, 2026


(सुधीर कुमार-V)
जनपद न्यायाधीश
फतेहपुर।